



Neutral Citation No. - 2026:AHC:160720

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7806**

**सन् 2026**

श्रीमती सुशीला देवी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

---

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : रूपेश कुमार मिश्रा

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 72**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह**

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह प्रार्थना पत्र आवेदिका की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 842 सन् 2016 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304बी एवं डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4, थाना कादर चौक, जिला बदायूँ में अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदिका मृतक महिला की सास है। आवेदिका और अन्य

सह-अभियुक्तों के खिलाफ दिनांक 20.11.2016 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदिका और अन्य सह-अभियुक्तों पर सामान्य और व्यापक आरोप लगाए गए थे कि मृतक महिला को दहेज की मांग के लिए क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। आरोप है कि अभियुक्तों ने दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर मौत से पहले की कोई चोट नहीं मिली, इसलिए विसरा सुरक्षित रखा गया था, लेकिन दिनांक 1.1.2017 की विसरा रिपोर्ट में कोई ज़हर नहीं मिला। इसके बाद, विवेचना अधिकारी ने इस प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने से असंतुष्ट होकर सूचनाकर्ता ने विरोध प्रार्थना-पत्र दाखिल किया, जिसे संबंधित अदालत ने स्वीकार कर लिया और प्रकरण को परिवाद वाद के तौर पर लिया गया। सूचनाकर्ता और अन्य गवाहों के बयान दं.प्र.सं. की धारा 200 और 202 के तहत दर्ज किए गए। इसके बाद, दिनांक 31.1.2025 के आदेश के तहत आवेदिका को आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया गया। आगे यह भी कहा गया है कि इस प्रकरण की विवेचना पूरी हो चुकी है और अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। आवेदिका को सूचनाकर्ता की मनमर्जी पर तलब किया गया है। यह भी कहा गया है कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और अब हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है। साथ ही, यह भी बताया गया है कि सह-अभियुक्त रामजी को इस अदालत ने पहले ही दिनांक 2.7.2026 के आदेश आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 5750 सन् 2026, द्वारा अग्रिम जमानत दे दी है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, हालाँकि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. अभिलेख देखने पर पता चला कि मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी और विसरा रिपोर्ट में ज़हर भी नहीं मिला। विवेचना अधिकारी ने इस प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और प्रकरण को परिवाद प्रकरण माना गया। दिनांक 31.1.2025 के आदेश के तहत आवेदिका को आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए बुलाया गया था। विवेचना पहले ही पूरी हो चुकी है और हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।



7. अमन प्रीत सिंह बनाम सी.बी.आई, (2022) 13 एससीसी 764 प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

"11. ऊपर बताई गई बातों से पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते समय मजिस्ट्रेट के लिए यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। जिस मजिस्ट्रेट या न्यायालय को प्रकरण का संज्ञान लेने या अभियुक्त का विचारण करने का अधिकार है, उसे तुरंत आरोप-पत्र स्वीकार करना होगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होगा। यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे प्रकरण में मजिस्ट्रेट या न्यायालय को हमेशा समन जारी करना चाहिए, न कि गिरफ्तारी वारंट। यदि वह गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 के तहत कारण दर्ज करने होंगे कि अभियुक्त या तो फरार है या समन का पालन नहीं करेगा या उस पर समन की विधिवत तामील का प्रमाण होने के बावजूद उपस्थित होने से इनकार कर दिया है। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त उप-पैरा (iii) में की गई टिप्पणियाँ सावधानी बरतने के बारे में हैं।

12. जहाँ तक मौजूदा प्रकरण और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के तहत सामान्य सिद्धांतों का सवाल है, सबसे उपयुक्त टिप्पणियाँ उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैरा (v) में की गई टिप्पणियाँ, ऐसे अभियुक्त के संदर्भ में, जो अजमानतीय अपराध में अभियुक्त हैं और जिसकी विवेचना की अवधि के दौरान हिरासत आवश्यक नहीं थी, ऐसी स्थिति में, अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना उचित है क्योंकि विवेचना के दौरान उसकी गिरफ्तारी न होना या उसे हिरासत में पेश न किया जाना ही उसे जमानत पर रिहा होने का हकदार बनाता है। इसके पीछे का तर्क स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कई सालों से आज़ाद घूम रहा है और विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो सिर्फ इसलिए कि आरोप-पत्र दाखिल हो गई है, अचानक उसकी गिरफ्तारी और जेल भेजने का आदेश देना जमानत देने के मुख्य सिद्धांतों के खिलाफ होगा। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं।"



8. अग्रिम जमानत से जुड़े कानून के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए—और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—यह पाया गया है कि आवेदक का प्रकरण ऊपर बताए गए फैसलों के दायरे में पूरी तरह आता है, इसलिए अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

9. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को इन निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त प्रकरण में शामिल आवेदिका - **श्रीमती सुशीला देवी** की गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उसे विचारण पूरा होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करना होगा।

(ii) आवेदिका विचारण के दौरान सहयोग करेगी और निष्पक्ष विचारण के लिए जब भी ज़रूरत होगी, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगी।

(iii) आवेदिका प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; और

(iv) आवेदिका न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगी।

10. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदिका को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

3 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला